सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1 नागपूर.

संदर्भ: प क्षे /पी. एम. एस. /340/ 2348 दिनांक: 12.07.2018
अपील दिनांक: 15.06.2018

अपीलकर्ता का नाम : श्री. गजानन रामचंद्र तिमांडे ,
मु. सिंदी तह्सील- सेलु
जिल्हा- वर्धा 442105

जन अधिकारी का नाम : पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1 नागपुर.

द्वारा : श्री. पंकज दलाल,
जन सुचना अधिकारी
पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र -1 नागपुर.

आवेदन दिनांक 23.05.2018 के उत्तर मे जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा प्रदत्त सूचना से असंतुष्ट होने के कारण अपील कर्ता ने निम्न अपील की है –

765 के वी डीसी गदरवाडा से वरोरा लाईन के टॉवर लोकेशन क्र. 152 एवं 151/6 के अंतर्गत खेत सर्वे नं 66 व 52/7 मौजा सालापुर, त. समुद्रपुर , यह दोनो खेतो में हुये फसल के नुकसान के विषय में कृषि अधिकारी समुद्रपुर जि. वर्धा के कृषि सर्वेक्षण के मुल्यांकन के आधार से संबंधित पूर्ण दस्तावेजो की प्रतिलिपि प्रदान किजीये ।

अपील, दिनांक 15.06.2018, इस कार्यालय को 20.06.2018 को प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी को बुलाया गया तथा अपील में की गयी शिकायत से अवगत कराया गया। जन सूचना अधिकारी को सुना गया तथा उन्होने प्रदत्त सूचना से संबंधित मदनुसार निम्नलिखित तथ्य व दस्तावेज प्रस्तुत किये –

आपके द्वारा प्राप्त आवेदन का उत्तर , हमारे पत्र संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./340/ 2171 दिनांक 06.06.2018 द्वारा आपको दिया गया है, तथा इस पत्र द्वारा आपको यह सूचित किया गया था कि,

"भारतीय तार अधिनियम 1885 तथा विद्युत अधिनियम 2003 खंड 164 के तहत पॉवरग्रिड को ट्रांसमिशन लाइन बनाने का अधिकार प्राप्त है। तथा लाईन बनाते समय हुये फसल के नुकसान का पंचनामा क्षतिग्रस्त किसान तथा पॉवरग्रिड के प्रतिनिधि के समक्ष किया जाता है । मुआवजा प्रमाण पत्र पर फसल का प्रकार तथा बाधित क्षेत्रफल / बाधित पेडों की संख्या का विवरण होता है, जिसपर किसान तथा पॉवरग्रिड द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षर किये जाते है । मुआवजा प्रमाण पत्र महसूल /क्रुषी विभाग को जमा किये जाते है तथा समय समय पर प्रचलित दरों (रेट) के अनुसार महसूल /क्रुषी विभाग द्वारा मुल्यांकन किया जाता है , तथा प्राप्त मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पॉवर ग्रिड द्वारा मुआवजा देय होता है । मुल्यांकन करते समय मुआवजा प्रमाणपत्र के अलावा विचाराधिन अन्य दस्तावेजों की जानकारी पॉवर ग्रिड के पास उपलब्ध नही होती है । तथा 765 के वी डीसी गदरवाडा - वरोरा लाईन के टॉवर लोकेशन क्र. 152/0, 151/6 शेत सर्वे नं 66, 52/7 के मुल्यांकन से संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी के लिये तालुका क्रुषी/ मह्सूल अधिकारी समुद्रपुर कार्यालय से संपर्क करे ।"

आपसे पुन: अनुरोध है की, आप 765 के वी डीसी गदरवाडा - वरोरा लाईन के टॉवर लोकेशन क्र. 152/0, 151/6 शेत सर्वे नं 66, 52/7 के मुल्यांकन के आधार से संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी के लिये संबंधित तालुका क्रुषी/ मह्सूल अधिकारी समुद्रपुर कार्यालय से संपर्क करे ।

निर्णय :

मैंने आवेदक की अपील एवं मांगी गयी सूचना से संबन्धित सभी दस्तावेजो को देख लिया है तथा जन सूचना अधिकारी को सुनने के बाद, मेरा निष्कर्ष यह है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना सही है, तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

(डॉ. वी. के. खरे)
कार्यपालक निदेशक, प. क्षे. -1
अपीलीय अधिकारी

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई द्वितीय अपील करना हो तो उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पता
सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन
आर. संख्या 326, सी विंग, दूसरा माला
अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा स्थल
नई दिल्ली-110 066

प्रति:

1. श्रीश्री. गजानन रामचंद्र तिमांडे ,
   मु. सिंदी तह्सील- सेलु
   जिल्हा- वर्धा 442105

2. जन सूचना अधिकारी
   पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र-1
   नागपुर.

3. मुख्य प्रबंधक, वर्धा टीएलसी

4. प्रबंधक, सतर्कता